कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिशनरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 11/04/2021

आज दिनांक 11.04.2021 को थाना लंका पुलिस द्वारा एक कन्टेनर से 30 पशु बरामद करते हुए एक अभियुक्त मोहम्मद जफीर आलम गिरफ्तार

आज दिनांक 11.04.2021 को थाना लंका के उ0नि0 अजय प्रताप सिंह चौकी प्रभारी रमना थाना लंका मय हमराह के देखभाल क्षेत्र एवं रात्रि गस्त में नुआंव चौराहे के पास मौजूद थे कि मुखबिर सूचना मिली कि एक कन्टेनर जिसका नम्बर HR 55 K 7293 है, का चालक अवैध रुप से पशु (भैस/ भैंसा) लादकर तस्करी करते हुए बिहार की तरफ से आ रहा है। यदि जल्दी करें तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुँचकर वाहनों की चेकिंग की जाने लगी। कुछ समय के पश्यात एक कन्टेनर आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी तरफ इशारा करके मुखबिर वापस चला गया। पुलिस बल द्वारा उक्त कन्टेनर को रूकने हेतु इशारा किया गया तो कन्टेनर को रोककर चालक खिड़की खोलते हुए भागने का प्रयास किया, जिसे हमराही पुलिस बल की मदद से कन्टेनर से उतरते ही पकड़ लिया गया। पुलिस बल द्वारा नाम-पता पूछने पर अपना नाम मोहम्मद जफीर आलम पुत्र मोहम्मद नवीस खान निवासी ग्राम डिवुरी थाना अटरी जिला गया बिहार उम्र 33 वर्ष बताया। भागने का कारण पूछने पर बताया कि मैं इस कन्टेनर (नं0 HR 55 K 7293) का चालक हूँ, कन्टेनर में पशु (भैंस व भैंसा) बाजार गया (बिहार) से लादकर कानपुर बेचने जा रहा था। पुलिस बल द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 03.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना लंका पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 368/2021 धारा 429 भा0द0वि0 व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- मोहम्मद जफीर आलम पुत्र मोहम्मद नवीस खान निवासी ग्राम डिवुरी थाना अटरी जिला गया बिहार उम्र 33 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

1. 07 राशि भैंस, 22 राशि जीवित भैंसा तथा 1 राशि मृत भैंसा (कुल 30 राशि अवैध पशु)

2. चार पहिया वाहन संख्या HR 55 K 7293 कन्टेनर तथा 2500/- रु0 नगद

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 अजय प्रताप सिंह चौकी प्रभारी रमना, उ0नि0 सुधाकर प्रसाद, हे0का0 नागेन्द्र चौहान व का0 सतीश यादव थाना लंका वाराणसी।

मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त
वाराणसी।